न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 92/2023 (RCMS : 2023/131)

1. **अजय कुमार** पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति बावरी निवासी चक 11 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **डोगरचंद** पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी 6 डीबीएन तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
2. **अशोक कुमार** पुत्र डोगरचंद जाति मेघवाल निवासी 6 डीबीएन तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
3. **निर्मला कुमार** पत्नी कृष्ण लाल जाति मेघवाल निवासी 6 डीबीएन तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
4. **चन्द्रभान** पुत्र पालीराम जाति बावरी निवासी चक 11 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** पीठासीन अधिकारी तनवीर संधू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसके द्वारा तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2023 अनवानी डोगरचंद वगै. बनाम अजय कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने या अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का स्थानान्तरण होने के कारण उनके प्रकरण को खारिज किया जाता है जो कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2023 अनवानी डोगरचंद वगै. बनाम अजय कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lok

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested